मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 22/12/2016

क्रमांक एफ-5(ए)/8/2016/ई/चार, राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा,2013 की संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) में नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग व्दारा अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीद्वारों के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो **वर्ष की परिवीक्षा** पर निम्नांकित शर्तो पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे 5400 तथा उस पर समय-समय पर देय भत्तों के आधार पर नियुक्त किया जाकर कालम-7 मे उल्लेखित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है अपितु अभ्यार्थियों व्दारा कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन कार्यालय संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल में प्रस्तुत किया जावेगा :-

क्रं.	उम्मीद्वार का नाम	लोक सेवा आयोग व्दारा अनुशंसित सूची का क्रमांक	भर्ती की श्रेणी (सीट)	वर्तमान डाक का पता	गृह जिला	पदस्थापना स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री विक्रम छिरौल्या	28	अनारक्षित	ग्राम व पोस्ट कालिजंर थाना कालिजंर पुरानी बाजार कालिजंर जिला बांदा (उ.प्र.) पिन कोड नं. 210129	जिला बांदा (उ.प्र.)	संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल
2.	श्री गणेश कुमार	46	अनारक्षित (श्रवण बाधित)	हाऊस नं. 101 नन्दगांव बाग मुगालिया भोपाल (म.प्र.) पिन कोड नं. 462043	ग्वालियर	संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल

2/- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है एवं जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी। यदि किसी उम्मीदवार का चयन अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है तो उसे अधिकतम 6 माह के अन्दर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है,अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ऐसा प्रशिक्षण/पाठयक्रम ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी, जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

4/- दो वर्ष की उक्त परिवीक्षा की अवधि में आपका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक न पाये जाने या विहित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों से, राज्य शासन, आपकी परिवीक्षावधि में 1 वर्ष आगे और वृद्धि कर सकेगा या आपकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

5/- चयन सूची में सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात लोक सेवा आयोग की चयन सूची के आधार पर ही वरिष्ठता निर्धारित रहेंगी।

-2-

manjhee

6/- उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1961 एवं मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा की शर्ते),1965 (समय-समय पर संशोधित) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के अंतर्गत शासित होगें।

7/- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के आधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू की गई। सेवा संबंधी अन्य मुददे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये और उन्हें लागू किया जाये, के अध्यधीन रहेंगे।

8/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल होगें, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारुप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इसे संचालनालय, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करें।

9/ यह नियुक्ति आदेश राज्य सेवा परीक्षा,2013 में चयनित उम्मीद्वारो के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5587/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2016 अनुसार चयनित उम्मीद्वारो की नियुक्ति उक्त याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 22/12/2016

पृ.क्रमांक एफ-5(ए)/8/2016/ई/चार,

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सचिव
3. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक
4. सचिव,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इंदौर की ओर पत्र क्रमांक 8178/05/2016/चयन, दि. 16.8.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों को संलग्न सूची अनुसार चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न है। जिन अभ्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं कराया जा सका है। उन्हें प्रमाण पत्र का सत्यापन किये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये। इसके साथ ही :-
   - **अ-** चयनित उम्मीदवारों से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बाण्ड की पूर्ति कराकर रिकार्ड में रखे।
   - **ब-** नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर निवेदन है कि एक प्रति संबंधित अधिकारी की सेवा-पुस्तिका में संलग्न की जाये।

-3-

स- कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावे।

द- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ई- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसकी पुष्टि संबंधित जिले के कलेक्टर से कराकर अभिलेख में सुरक्षित रखे।

6. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल,
7. प्रशासनिक अधिकारी,आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी,शाहपुरा भोपाल।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा/संभागीय पेंशन अधिकारी।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी।
10. श्री/श्रीमती/कु.--
की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में अपनी उपस्थिति आयुक्त, कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावास भवन पंचम तल, अरेरा हिल्स में कार्यभार ग्रहण करेंगे। आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी,भोपाल में अधिकारियों का आधारभूत-सह परिचयात्मक प्रशिक्षण दिनांक 26.12.2016 से प्रारंभ होगा। अतः ऐसे समस्त अधिकारी जो आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दे सके है वे दिनांक 25.12.2016 को सांय 6.00 बजे तक आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी,भोपाल में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति देते हुए उपस्थिति प्रतिवेदन आयुक्त कोष एव लेखा को भेजकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
11. गार्ड फाईल।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

manjhee